मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 07/03/2022

क्रमांक 645 /3719/2021/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक 1253/1958/2021/38/1, दिनांक 06.08.2021 के सरल क्रमांक 07 पर अंकित डॉ. बलीराम खातरकर, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एच. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार शासकीय महात्मा गांधी पीजी महाविद्यालय, इटारसी किया गया।

2/ उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ. खातरकर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 14952/2021 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2021 में याचिका को dispose of किया है। माननीय न्यायालय का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

Counsel for the State submitted that petitioner has already preferred a representation contained in Annexure P/6 before the respondent no.1 and same shall be considered in accordance with law.

In view of the aforesaid circumstances, writ petition is disposed off with direction to respondent no.1 to consider and decide the representation of petitioner within a period of 45 days in accordance with law.

Meanwhile, petitioner be permitted to continue as Assistant Professor (Economics) in Jaywanti Haksar P.G. College, Betul.

3/ माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में डॉ. खातरकर द्वारा विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। डॉ. खातरकर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुक्रम में विभागीय अभिमत निम्नानुसार है:-

क्र.	स्थानांतरण निरस्त किये जाने के आधार	विभागीय अभिमत
I	स्थानांतरण नीति दिनांक 24.06.2021 की कंडिका 20 के अनुसार पद रिक्त होने पर ही स्थानांतरण किया जाना चाहिए।	स्थानांतरण नीति के अनुसार ही स्थानांतरण किया गया है। शासकीय महात्मा गांधी पीजी महाविद्यालय, इटारसी में अर्थशास्त्र विषय में 01 पद स्पष्ट रूप से रिक्त है।
II	वर्तमान में मैं शिक्षण कार्य के अतिरिक्त महाविद्यालय के आई.टी. सेल एवं भूगोल विभाग के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। चूँकि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। स्थानांतरण से यह प्रक्रिया बाधित होगी।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं।

III	वर्तमान में कोविड 19 के खतरनाक कहर से हम सभी वाकिफ है, चूँकि मेरी उम्र 61 वर्ष की हो चुकी है। अत: इस उम्र में किसी दुसरी जगह स्थानांतरित होकर जाना भविष्य में मेरे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं है।

4/ डॉ. बलीराम खातरकर, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एच. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल में विगत 10 वर्षों से कार्यरत है। डॉ. खातरकर का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

5/ डॉ. खातरकर, प्रथम श्रेणी संवर्ग के अधिकारी है। स्थानांतरण नीति 2020-21 की कंडिका 50 के अनुक्रम में डॉ. खातरकर द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बलीराम खातरकर, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एच. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शैलेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 07 /03/2022

पृष्ठा.क्र. 646 /3719/2021/38/1

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल
3. प्राचार्य, शासकीय जे.एच. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल,
4. प्राचार्य, शासकीय महात्मा गांधी पीजी महाविद्यालय, इटारसी
5. संबंधित डॉ. बलीराम खातरकर, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एच. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल
6. गार्ड फाईल,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग